Date –1 September 2022

कन्नड़ पाठ्यवस्तु के अनुसार "बुलबुल के पंखों में बैठकर वीर सावरकर पूरा भारत घूमते थे।"

संदर्भ- कर्नाटक राज्य सरकार ने कक्षा 8 के पाठ्यवस्तु में बदलाव कर वीर सावरकर से संबंधित नया अध्याय जोड़ा है। अध्याय का एक अंश विवाद का विषय बना हुआ है कि "बुलबुल के पंखों में बैठकर वीर सावरकर पूरा भारत घूमते थे।"

पाठ्यवस्तु – यूनेस्को (Unesco) के प्रकाशन Preparing Textbook Manuscripts में पाठ्यवस्तु, "निर्धारित पाठ्य-विषयों के शिक्षण के लिए अन्तर्वस्तु, उसके ज्ञान की सीमा, छात्रों द्वारा प्राप्त किये जाने वाले कौशलों को निश्चित करता है एवं शैक्षिक सत्र मे पढ़ाये जाने वाले व्यक्तिगत पहलुओं तथा निष्कर्षों की विस्तृत जानकरी प्रदान करता है। पाठ्य वस्तु किसी पाठ्य विषय हेतु अधिगम के एक स्तर विशेष पर पाठ्यक्रम का एक परिष्कृत तथा विस्तृत रूप होता है।" इसलिए पाठ्यवस्तु का संबंध **ज्ञानात्मक पक्ष के विकास** से होता है। विद्यालय के भीतर शिक्षण क्रियाओं का संबंध ज्ञानात्मक पक्ष से होता है। पाठ्य-वस्तु का स्वरूप सुनिश्चित होता है।

विनायक दामोदर सावरकर-

- भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, इतिहासकार, राष्ट्रवादी नेता थे।

जन्म- 28 मई1883

मृत्यु- 26 फरवरी 1966

- भारत में शिक्षा प्राप्त करने के बाद लंदन में प्रवास किया। 1904 में अभिनव भारत, पूणे में विदेशी वस्त्रों की होली जलाकर स्वदेशी आंदोलन को बढ़ावा दिया।

- 10 मई 1907 को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की स्वर्ण जयंती मनाई।
- 1908 में The history of the war of Indian Independent पुस्तक लिखी। इसके प्रकाशन में आई कई समस्याओं के बाद अंत में हॉलैण्ड से प्रकाशित हुई।
- 1909 में क्रांतिकारी आंदोलन के समय मदनलाल ढिंगरा द्वारा कर्जन वायली को गोली मार दी। इस पर उन्होंने लेख में मदन लाल ढिंगरा को देशभक्त कहा और मई 1910 में उन्हें लंदन पहुँचने पर गिरफ्तार कर लिया।
- उन्हें दो बार आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी।
- नासिक षड्यंत्र केस के तहत सैलुलर जेल में काला पानी की सजा मिली थी।
- वे प्रथम ऐसे साहित्यकार थे जिन्होंने दीवारों पर कीलों, कांटो व नाखूनों से विपुल साहित्य व आँखों देखा साहित्य सृजित किया था।

सैलुलर जेल(cellular jail)-

- अण्डमान निकोबार में ब्रिटिश कालीन जेल थी जिसे कालापानी भी कहा जाता था।
- 200 राजनीतिक बंदियों का पहला जत्था 10 मार्च 1858 को यहाँ पहुँचा था।
- इसमें अपराधियों और राजनीतिक कैदियों को स्वतंत्रता आंदोलन से निर्वासित करने के लिए रखा जाता था। क्योंकि
- **संरचना** के अनुसार इसमें 698 सैल हैं जो 1906 में बनकर पूरी हुई थी, जिस कारण इसे **सैलुलर जेल** कहा जाता है। प्रत्येक सैल(4.5*2.7 वर्गमीटर) दूसरे से इस प्रकार विलग है कि प्रत्येक सैल का प्रवेश द्वार दूसरी सैल के पिछली दीवार पर खुलता है। ताकि कैदी आपस में संवाद स्थापित न कर पाएं।

यातनाएँ-

- विनायक दामोदर सावरकर ने अपनी पुस्तक **मेरा आजीवन कारावास** व **काला पानी** में जेल में राजनीतिक बंदियों के सश्रम यातनाओं व दुर्दशा का वर्णन किया है।
- **The Indian journal of political science** में प्रकाशित लेख **Cellular Jail : A century of Sacrifices** के अनुसार सैकड़ों स्वतंत्रता सेनानियों ने स्वतंत्रता की सुबह देखने की अंतिम इच्छा के साथ यहाँ प्राण त्याग दिए।
- जेल में सीमित समय में असीमित कार्य दिया जाता था जिसे पूरा करना लगभग असम्भव था, कार्य पूरा न होने पर अमानवीय यातनाओं के साथ अस्वच्छ भोजन दिया जाता था।
- जेल में कोई शौचालय नहीं था।

वर्तमान में सैलुलर जेल-

- वर्तमान में यह राष्ट्रीय स्मारक है।
- हाल ही में असम राज्य सरकार ने 1000 विद्यार्थियों को सैलुलर जेल का अध्ययन करने के लिए अण्डमान निकोबार भेजने की घोषणा की है।

पाठ्यवस्तु में वीर सावरकर का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन काल्पनिक है, जो बाल मन पर सैलुलर जेल की यातनाओं के विषय में भिन्न छाप छोड़ता है।
प्रत्येक पाठ्यपुस्तक समिति को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि पाठ्यवस्तु का सही प्रकार से वर्णन हो। जिससे विद्यार्थियों को सही जानकारी प्राप्त हो सके।

गुंजन जोशी

सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, उच्च न्यायालय आंध्र प्रदेश के खिलाफ अपील पर सुनवायी से पहले EWS के 10% आरक्षण की जाँच होगी।गी।

सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, उच्च न्यायालय आंध्र प्रदेश के खिलाफ अपील पर सुनवायी से पहले EWS के 10% आरक्षण की जाँच होगी।

संदर्भ- सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार वह आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ राज्य सरकार की अपील पर भी सुनवाई करेगी, जिसने मुसलमानों को आरक्षण देने वाले स्थानीय कानून को खारिज कर दिया था। सर्वोच्च न्यायालय की 5

न्यायाधीशों की पीठ ने कहा, उच्च न्यायालय के खिलाफ अपील पर सुनवायी से पहले EWS के 10% आरक्षण की जाँच करेगी।

ईडब्ल्यूएस आरक्षण – पारम्परिक रूप से सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को विकास की समान धारा मे लाने के लिए EWS(Economical weaker section) बिल, संविधान का **103वाँ संशोधन अधिनियम 2019** के रूप में 9 जुलाई 2019 को पारित किया गया।

इसमें आवेदन करने के लिए –

- आवेदक की पारिवारिक वार्षिक आय 8 लाख से कम हो। केरल राज्य के नागरिकों के लिए यह आय 4 लाख से कम है।
- वह भारत के उपवर्ग अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़े वर्ग में शामिल न हो।
- आवेदक 5 एकड़ से अधिक कृषि भूमि का मालिक न हो।
- आवासीय फ्लैट क्षेत्र 1000 वर्ग फुट से कम होना चाहिए।
- यदि अधिसूचित नगरपालिका क्षेत्र में आवासीय भूखंड हो तो उसका क्षेत्रफल 100 वर्ग गज से कम होना चाहिए।
- यदि गैर-अधिसूचित नगर पालिका क्षेत्र में आवासीय भूखंड हो तो उसका क्षेत्रफल 200 वर्ग गज से कम होना चाहिए।

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण पत्र हेतु आवेदन के लिए आवश्यक प्रमाण पत्र-

- जाति प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- एफिडेविट या स्वतः घोषणा पत्र
- निवास प्रमाण
- स्थायी निवास प्रमाण पत्र

सुप्रीम कोर्ट द्वारा EWS आरक्षण की जाँच के संभावित कारण-

- हाल ही में केरल के उच्च न्यायालय ने हायर सेकेंडरी के नामांकन में 10% के आरक्षण की मांग को ठुकरा दिया। केरल उच्च न्यायालय के अनुसार यह केवल कानूनी शक्ति प्रदान करता है।
- वर्तमान में चर्चित आंध्र प्रदेश राज्य की मुस्लिम आरक्षण अधिनियम 2005 के सापेक्ष आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग आरक्षण अधिनियम 2019 का विरोधाभासी होना।

आंध्र प्रदेश राज्य की मुस्लिम आरक्षण अधिनियम 2005-

1. शैक्षणिक संस्थानों में मुस्लिम समुदाय के लिए, सीटों के तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य कानून में किसी बात के होते हुए भी,राज्य में रहने वाले मुसलमानों के प्रवेश के लिए संस्थान में पांच प्रतिशत सीटों आरक्षण का होगा। बशर्ते कि क्रीमी लेयर से संबंधित सदस्य मुस्लिम समुदाय ऐसे आरक्षण का हकदार नहीं होगा।

2. लोक सेवाओं में नियुक्ति के लिए, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य कानून में किसी बात के होते हुए भी,राज्य में रहने वाले मुस्लिम समुदाय के लिए राज्य सेवा की नियुक्तियों या पदों में पांच प्रतिशत आरक्षण होगा। बशर्ते कि क्रीमी लेयर से संबंधित सदस्य या मुस्लिम समुदाय ऐसे आरक्षण का हकदार नहीं होगा।

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण के प्रभाव-

इसके तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के भारतीय नागरिकों को लाभ प्राप्त हो सकेंगे-

- उच्च शिक्षा में प्रवेश में 10% का आरक्षण और
- सरकारी नौकरी में 10% का आरक्षण। इनसे गरीबी के स्तर में सुधार आएगा।
- जाति के आधार पर आरक्षण पाने वाले वर्ग को निम्न दृष्टि से नहीं देखा जाएगा और पारंपरिक जाति व्यवस्था के सामाजिक दुष्प्रभावों में कमी आएगी।

चुनौतियाँ-

- ई.डब्ल्यू. एस. प्रमाण पत्र को बनाने के लिए कई प्रमाण पत्रों की आवश्यकता होती है, प्रमाण पत्रों के लिए वास्तव में कमजोर वर्ग पर आर्थिक भार आ सकता है क्योंकि प्रत्येक वर्ष में इनका नवीनीकरण करना पड़ता है।
- 8 लाख वार्षिक आय के न्यूनतम पैरामीटर में भारत का एक बड़ा जनसंख्या वर्ग आता है, जिससे आरक्षण का न्यूनतम लाभ ही गरीबी रेखा से नीचले वर्ग को मिल पाता है।
- आंध्र प्रदेश जैसे प्रदेशों में आ रहे आरक्षण संबंधी विभेदों को दूर करने की आवश्यकता है।

गुंजन जोशी

YOJNA IAS